(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 36 / 2016

बउनवान

कैलाश पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी रारोती तहसील बारॉ जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारॉ जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक **(अपीलांट)**

2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 20.08.2019

यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर, बारॉ द्वारा अंतरित की गई है। अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ तहसीलदार, बारॉ के प्रकरण संख्या 807 / 2014 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 3.11.2014 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम रारोती की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2071 में खसरा नम्बर 587 की रकबा 0.32 हेक्टयर भूमि पर फसल हकत की जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 160 / – रूपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 25.1.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली 10 बार तलब किये जाने उपरांत भी अप्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर प्रकरण मे बहस उभयपक्ष की सुनी गई। प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक द्वारा पृथक से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण संख्या 29 / 2016 पर दिनांक 2.3.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर स्वीकार किया गया।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपनी साक्ष्य व जवाबदेही प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया न कब्जे बाबत कोई स्वतंत्र गवाहो के कोई बयान लिये तथा साईक्लो स्टाईल परफोर्मा पर निर्णय पारित किया गया है, जो स्पेसिफिक निर्णय की श्रेणी मे नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना मे यदि अपीलांट को सजायाब किया गया तो अपीलांट का अपील करना व्यर्थ हो जावेगा। अपीलांट के बाल बच्चे भूखो मर जावेगे। अपीलांट का किसी भी सरकार भूमि पर कोई कब्जा नही है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.11.2014 की जानकारी सर्व प्रथम थाना सदर बारॉ की पुलिस अपीलांट को गांव पहुंचने पर हुई। उसके पश्चात अपीलांट द्वारा दिनांक 20.1.2014 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 21.1.2014 को नकल निर्णय प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक 21.1.2014 को नकल निर्णय प्राप्त हुई। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर, अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल हकत की जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया है। जिसकी तामील करवाई गयी है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा। अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी सम्वत् 2070 में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 724/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 16.12.2013 से पूर्व मे भी राजकीय भूमि पर अतिचार करने पर बेदखली की कार्यवाही की गयी थी। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2071 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षो के तर्को का मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारॉ द्वारा प्रकरण संख्या 807/2014 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित आदेश दिनांक 3.11.2014 की अपील अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। जिस पर अपीलांट के एवं उसके अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षर नही किये गये है। राजस्थान रेवेन्यु कोर्ट मैन्युअल 1956 के अनुसार पक्षकार के हस्ताक्षर प्रस्तुत अपील पर होना आवश्यक है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील त्रुटिपूर्ण होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ तहसीलदार, बारॉ द्वारा प्रकरण संख्या 807/2014 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 3.11.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.09.03 15:35:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: